**Composite licensing system for manufacturers**

2. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a persistent demand to introduce composite licensing system for the manufacturers throughout the country;

(b) whether the penal provision related to weighting are not effective to curb unfair practices; and

(c) if so, the details of the steps Government propose to take to curb unfair practices and to review weights and measures laws?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The All India Conference on Weights and Measures held in New Delhi recently has recommended adoption of a composite licensing system.

(b) and (c) The penal provisions relating to weighing are effective. However, in order to make them more effective in curbing unfair practices and also to remove other deficiencies revealed in the course of enforcement, the existing laws on weights and measures are being reviewed.

**उचित दर की दुकानों पर गेहूं चावल और चीनी के मूल्य**

3. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991, 1992 और 1993 के वर्षों में 1 जून को उचित दर दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी के क्या-क्या भाव थे ;

(ख) कीमतों में वृद्धि से सरकार को प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त आय हुई ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दी गई राजसहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गरीब व्यक्तियों को सस्ती दरों पर घरेलू वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर थोक में चावल और गेहूं मुहैया कराती है। खाद्यान्नों का अंतिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा, परिवहन लागत, रख-रखाव प्रभार और अन्य प्रासंगिक खर्चों तथा उचित दर दुकानों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाता है। चावल और गहूं का अंतिम खुदरा मूल्य भिन्न-भिन्न राज्यों में तथा कभी-कभी एक ही राज्य के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग होता है। वर्ष 1991 से चावल और गेहूं का केंद्रीय निर्गम मूल्य विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिए**) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली लेवी चीनी का अंतिम खुदरा मूल्य केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार देश भर में एक समान है। वर्ष 1991 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लेवी चीनी का अंतिम खुदरा मूल्य भी अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग) गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि, धान और गहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों और वसूली के बाद के प्रचालनात्मक व्यय में वृद्धि को अंशत: निष्प्रभावित करने के